



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012020-215655
CG-DL-E-23012020-215655

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2020/माघ 3, 1941

No. 40]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2020/MAGHA 3, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 43(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 36 के खण्ड (गगघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नियम, 2020” है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “ई-डीआरटी प्रणाली” से अधिकरण में अभिवचनों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए लगाया गया वेब ब्राउजर प्रणाली अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत सभी अधिकरणों के लिए एक समान वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक सूचना का सर्व सुलभ निधान और डिजिटल हस्ताक्षर की व्यवस्था के साथ इलेक्ट्रॉनिक तामील की सुविधा या सूचनाओं को जारी करने और अधिकरणों द्वारा जारी आदेशों और निदेशों को प्रदर्शित करने की सुविधा सम्मिलित है।

(ख) ई-डीआरटी प्रणाली में “इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप” से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (द) के अधीन यथा परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में ऐसी सूचना या दस्तावेज अभिप्रेत है;

- (ग) “ई-फाइलिंग” से ई-डीआरटी प्रणाली के माध्यम से आवेदक द्वारा अधिकरण के समक्ष अभिवचन की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अभिप्रेत है;
- (घ) “सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक निर्गम” से ई-डीआरटी प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना का निर्गमन अभिप्रेत है,
- (ङ.) “ई-तामील” से ई-डीआरटी प्रणाली के माध्यम से आवेदक या किसी अन्य पक्षकार या विधि व्यवसायी को सूचना की तामील अभिप्रेत है, जिसे प्रेषण के समापन पर पूर्ण माना जाएगा जो किसी अधिकरण के रजिस्ट्रार या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पेपर पर जारी किसी सूचना के समान ही विधिमान्य होगी;
- (च) “सूचना” से कोई समन, नोटिस या संसूचना अभिप्रेत है जिसे अधिकरण द्वारा तामील या परिदान करना आवश्यक हो;
- (छ) “अभिवचन” – से ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 अथवा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अधिकरण को संबोधित आवेदन या लिखित कथन या लिखित रूप में कोई अन्य निवेदन या उससे संबंधित दस्तावेज अभिप्रेत है;

(2) इसमें प्रयुक्त तथा अपरिभाषित शब्दों तथा पदों का अर्थ क्रमशः वही होगा जो ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अथवा इनके अधीन नियमों में उनके हैं;

3. लागू होना.—(1) ये नियम ई-फाइलिंग, अधिकरणों द्वारा पारित निदेशों अथवा अंतरिम या अंतिम आदेशों को ई-डीआरटी प्रणाली की साझी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने तथा इलेक्ट्रॉनिक निर्गमन एवं सूचनाओं की ई-तामील पर लागू होंगे।

(2) आवेदकों द्वारा अभिवचनों की ई-फाइलिंग वैकल्पिक होगी।

4. ई-फाइलिंग की प्रक्रिया.—(1) आवेदक द्वारा ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए यथा विहित अभिवचनों को ई-डीआरटी प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल किया जा सकेगा;

(2) आवेदक ई-फाइलिंग के पश्चात् ई-फाइलिंग की तिथि से सात कार्य दिवस के भीतर स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता अथवा सम्यक रूप से अधिकृत विधि व्यवसायी के माध्यम से ई-फाइलिंग हेतु अभिस्वीकृति की प्रति सहित उक्त अभिवचन की हार्ड कापी अधिकरण की रजिस्ट्री के समक्ष फाइल करेगा;

(3) जहां, आवेदक द्वारा अभिवचन इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा दस्तावेज के रूप में रजिस्ट्री के समक्ष फाइल किए गए हों, वहां, अधिकरण में फाइल किए गए अभिवचन की तारीख वही होगी जो ई-डीआरटी प्रणाली के माध्यम से अभिवचन के अंतिम पृष्ठ को जमा करने की तारीख है;

(4) आवेदक द्वारा ई-फाइलिंग के माध्यम से अभिवचन फाइल किए जाने के बावजूद भी अधिकरण, अपने विवेक का प्रयोग कर कतिपय संबंधित दस्तावेजों को केवल प्रथागत रूप से फाइल करने की अनुमति दे सकेगा।

5. अधिकरणों द्वारा साझी वेबसाइट पर सूचना को अपलोड करना.—अधिकरण मामला सूची, दैनिक आदेशों, अंतिम आदेशों को अपलोड करेंगे तथा ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 22 के अधीन अधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ई-डीआरटी प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निर्गमन तथा निदेशों एवं सूचनाओं की ई-तामील नियमित आधार पर कराएगा।

[फा. सं. 27/3/2018-डीआरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2020

G.S.R. 43(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ccd) of Section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called “The Debts Recovery Tribunals and Debts Recovery Appellate Tribunals Electronic Filing Rules, 2020”.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) “**e-DRT System**” means the system employing web browser, deployed for electronic filing of pleadings in the Tribunals, which includes a common website for all Tribunals, a universally accessible repository of electronic information, and a facility for electronic service or issuance of intimations and display of orders and directions issued by the Tribunals, with provision for digital signature;

(b) “**electronic form**” in the e-DRT System means an information or a document in electronic form as defined under clause (r) of the Sub Section (1) of Section 2 of Information Technology Act;

(c) “**e-filing**” means electronic filing of a pleadings before the Tribunal by an applicant through the e-DRT system;

(d) “**electronic issuance of intimations**” means issuance of an intimation electronically, via the e-DRT system,

(e) “**e-Service**” means the service of an intimation to the applicant or any other party or legal practitioner electronically via the e-DRT system, which shall be considered complete at the conclusion of transmission which shall be as valid as any intimation issued on paper by the Registrar or other authorised officer of a Tribunal;

(f) “**intimation**” means any summons, notice or communication as may be required to be served or delivered by the Tribunal ;

(g) “**pleading**”- means an application, or written statement or any other submission in written form addressed to a Tribunal, and the related documents thereto, under the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 or the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002;

(2) Words and expressions used herein and not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993, the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, or the Information Technology Act, 2000 or rules thereunder.

3. Applicability.—(1) These rules shall apply to e filing, display of interim or final orders or directions passed by the Tribunals on the common website in the e-DRT system and to the electronic issuance and e-service of intimations.

(2) The e filing of pleadings by applicants shall be optional.

4. Procedure for e-filing.—(1) Pleadings as prescribed for specific purposes under the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993, the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, may be filed by an applicant in electronic form, through the e-DRT system;

(2) After e-filing, the applicant shall file a hard copy of the said pleading, along with a copy of the acknowledgment for e filing within seven working days of the day of e-filing in person or by his agent or by a duly authorized legal practitioner before the Registry of the Tribunal;

(3) Where the pleading is filed in electronic form and in paper form by the applicant, before the Registry, the date of filing of the pleadings in the Tribunal shall be the date of submission of the last page of a pleading through the e-DRT system;

(4) The Tribunal may exercise its discretion to allow certain related documents to be filed only in the conventional manner, even when the applicant has made the pleading by e-filing.

5. Uploading of the information on the common website by the Tribunals.—The Tribunals shall upload cause lists, daily orders, final orders and carry out electronic issuance and e-service of directions and intimations through the e-DRT system on a regular basis, as per the procedure adopted by the Tribunals under Section 22 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993.

[F. No. 27/3/2018-DRT]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.